

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>7-6-2019</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र चारों 151, 152 CPC की वैतन प्रस्तुत करते हुए निवेदन दिया प्रकरण संख्या 85/14 उपरोक्त दहीतर सिंह बनाम नन्द सिंह के न्यायलय सहायक कमरे 22 डी दिनांक 7.1.1986 की प्राथमिक डिफेंस आवेदन चारों 53 राजस्थान सरकार की अनुमति जारी करते हुए जाम खंड रसूलपुर तहसील लाडपुरा के आराजी- खसरा न. 1, की 65 बीघा, खसरा न. 6, की 3-05 बीघा, खसरा न. 1/588 की 81-02, खसरा न. 6/589 की 1 बीघा 10 बिना कुल रकबा 4 कुल रकबा 149 बीघा 17 बिना की पक्षकारों दहीतर सिंह, पुष्पा वाई 1/4 तथा नन्द सिंह, फूलसिंह, सावत सिंह के प्रत्येक 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से अनुहार विभाजन कर जारी की जाती। न्यायलय सहायक कमरे 22 आवेदारी के द्वारा वाप 122/05 दिनांक 4.7.2008 की डील वाद में कार्यवाही डिफेंस जारी करते हुए जाम खंड की आराजी हाल खसरा न. 1 रकबा 0.51 हे. , हाल ख. न. 2 रकबा 1.14 हे. हाल ख. न. 3 परिचामी रकबा 4.10 हे. + म. + कुल रकबा 3 कुल रकबा 5.80 हे. + म. + अभि का दहीतर सिंह पुत्र पुत्रु सिंह</p>	


मिनि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>मि</p>	<p>रहन २२२ बैंक ऑफ पश्चिम CND Circle. Kote, हुक्म नं. १ ३ कि. १ रसिमा पूर्व नहर के समीप रकबा ०.३० है. हा खमरा नं. ३५ रकबा ०.०३ है. हा खमरा नं. ३७ रकबा ५.५७ है-२५४ कुल बिता ३ रकबा ५.८० है. अकि का फूमसिंह पुत्र सावत सिंह कोम राखत रहन से-३२ बैंक ऑफ इंडिया के यु.पी. जम खमरा नं. ५ पश्चिम रकबा २.५२ है, हा खमरा नं. ३ रकबा २.८५ है. हा ख खमरा नं. ३२ रकबा ०.५५ है. कुल बिता ३ कुल रकबा ५.८० है. अकि का सावत सिंह पुत्र रावत सिंह कोम राखत रहन बैंक ऑफ इंडिया अनुपपुरा, हा खमरा नं. ३ कि. २ अनुपपुरा नहर के समीप रकबा ०.३५ है. हा खमरा नं. ५ कि. पूर्व रकबा ०.०५ है. हा खमरा नं. ६ रकबा ०.५१ है-२५४, हा खमरा नं. ७ रकबा ०.५९ है-२५४, हा खमरा नं. ८ रकबा ०.५२ है-२५४, हा खमरा नं. १० रकबा १.७५ है-२५४, हा खमरा नं. ११ रकबा २.१५ है-२५४ कुल बिता ७ कुल रकबा ५.८१ है-२५४ अकि का सुरेन्द्र सिंह, हिममत सिंह पुत्रा ३ कि. केवर, सोहन केवर, रतन केवर, इन्दर केवर पुत्रिमां नरक सिंह रामकृष्ण बेना नरक सिंह कोम राखत के मध्य बंधारा बिमा जाकर जाती की गयी। हा खमरा नं. सुरेन्द्र सिंह, हिममत सिंह, सुरेन्द्र सिंह के प्रापतां पत्र</p>	

अ-तारीख तारिख 114, 115 व 152 CPC
 पर सुनवाई कर दिनी दिनांक-17.06.2017
 द्वारा दिनांक 04.07.2008 को पारित
 फाइनल डिक्री में 215 गांव लंगोप-
 काने इये गांव का नाम खेडा के
 स्थान पर खेडा रसूलपुर रखा करने
 सुन लम्बुस सिंह मिश्रा नरसिंह
 जाति राजपूत की नाम जोड़ने का
 आदेश जारी किया गया दि-03
 इम्त आदेश में सख्त ले दिला
 सिद्धपुर प्रभुसिंह के नाम के साथ
 अन्य खेतों का नाम जोड़ गया
 जोकि गांव खेडा रसूलपुर लक्ष्मी
 लपुरा की जमीन फाइनल डिक्री
 04.07.2008 द्वारा दिनांक दीनांक सिंह
 पुत्र नरसिंह के स्थान में आसी है
 अतः जो सुस्त किया जावे

श्री

वादी वकील की कसत
 पुत्री जमी व पत्नी का अधिपता
 अवलोकन किया गया। न्यायलय
 प्रखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा
 दिनांक 04.07.2008 को पारित
 फाइनल डिक्री में गांव खेडा रसूल
 पुर की जमीन दीनांक सिंह पुत्र
 प्रभुसिंह रहन ~~अन्य~~ के
 अधिक परिभाषा, सी.ए.डी तहसील
 कोटा के स्थान में आसी है।

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>दिनांक 17.08.2017 को संशोधित करते समय सटवन के खेती रखलपुर की अक्री, जो धीतर सिंह के सिद्धि में आती पर अ-पे खेत के नामची दर्ज हो जाये। अतः प्रापका पत्र सीकार कर ग्राम खेती रखलपुर में स्थित आकापी खेत नं. 1 रकबा 0.56 हेक्टर, खेत नं. 2 रकबा 1.14 हेक्टर खेत नं. 3 (पश्चिम) रकबा 4.10 हेक्टर कुल अक्री 3 कुल रकबा 5.80 हेक्टर अक्री धीतर सिंह पुत्र प्रभुसिंह सोम खेतपूर रहने बैरु ओक परिभाला, सी.प.डी. लखिम के नाम दर्ज करने का संशोधन किया गया है। पत्रावली संख्या 23017 को नम्बर 10 कर दी। निम्न 3</p> <p style="text-align: right;">  <u>7/8/19</u> </p>	

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सरोज ढाका, R.A.S.

1. छीतर सिंह आत्मज स्व. प्रभूसिंह
2. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी स्व. प्रभूसिंह
जाति राजपूत, निवासी ग्राम ताथेड, तहसील
लाडपुरा, जिला कोटा

(वादीगण)

- बनाम
1. नन्दसिंह आत्मज रावतसिंह मृतक जरिये कायम मुकाम -
1/1 सुरेन्द्र सिंह, 1/2 हिम्मतसिंह, 1/3 समुद्रसिंह
पिसरान स्व. नन्दसिंह जाति राजपूत
 2. फूलसिंह आत्मज रावत सिंह मृतक जरिये कायम मुकाम -
2/1 मोहन सिंह, 2/2 सोहन सिंह, 2/3 राजेन्द्र सिंह
2/4 ममता पिसरान फूलसिंह, 2/5 द्वारका बाई बेवा
फूलसिंह, जाति राजपूत
 3. सांवत सिंह आत्मज रावत सिंह मृतक जरिये का मु.
3/1 तेजकंवर बेवा सांवतसिंह, 3/2 कमलेश कंवर,
3/3 शिवराज सिंह, 3/4 बलवीर सिंह,
3/5 धनकंवर पिसरान सांवत सिंह, जाति राजपूत
निवासीगण ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. 122/05

उपरोक्त वाद में दिनांक 04.07.2008 को फाइनल डिक्री एवं दिनांक 17.08.2017 को संशोधित फाइनल डिक्री पारित की गई थी जिसमें ग्राम खेडा रसूलपुर की आराजीयात बाबत टाईपिंग त्रुटि हो जाने पर प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी का पेश किया जिस पर विधिवत सुनवाई पश्चात ग्राम खेडा रसूलपुर, तहसील लाडपुरा की निम्नांकित आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का बंटवारा कर खातेदार घोषित किया जाता है तथा निम्नानुसार अलग अलग खाते दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं -

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा		
1	छीतर सिंह पुत्र प्रभूसिंह, निवासी ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा	1	0.56 हैक्टर		
		2	1.14 हैक्टर		
		3 (पश्चिम)	4.10 हैक्टर		
योग :		किता 3	5.80 हैक्टर		
2.	सुरेन्द्र सिंह, हिम्मतसिंह, समुद्रसिंह, पिसरान स्व. नन्दसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम ताथेड, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा	3 मि.2 (उत्तर) पूर्व नहर	0.35 हैक्टर		
		5	0.05 हैक्टर		
		6	0.49		
		7	0.59 हैक्टर		
		8	0.46 हैक्टर		
		10	1.74 हैक्टर		
		11	2.13 हैक्टर		
		योग :		किता 7	5.81 हैक्टर



My

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दफ्तर्नायक
कोटा (राज.)